।। कार्यालय, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर।।
(नेहरू नगर, आर0पी0ए0 रोड, जयपुर फोन 0141–2301584, फैक्स 0141–2301859)
ई–मेल: director.fsl@rajasthan.gov.in

दिनांक :– 23/06/21

क्रमांकः– व–15(3)लेबो–जन/2021/2260

समस्त सहायक निदेशक (विष),
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर,/
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर/कोटा/भरतपुर/
उदयपुर/बीकानेर/अजमेर।

विषयः– राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान में कोविड–19 से संक्रमित मृतक/व्यक्ति के जैविक प्रादर्शों की रासायनिक जाँच (विष परीक्षण) हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय के कमेटी आदेश कमांक 1922 दिनांक 27.05.2021 के कम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले कोविड–19 से संक्रमित मृतक/व्यक्ति के जैविक प्रादर्शों की रासायनिक जाँच (विष परीक्षण) हेतु संदर्भित पत्रानुसार केन्द्र (AIIMS- दिल्ली एवं जोधपुर) व राज्य के वरिष्ठतम मेडिकल ज्यूरिष्ठ व राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वरिष्ठतानुसार तीन सहायक निदेशक (विष) की कमेटी का गठन किया गया था। उक्त गठित कमेटी की अनुशंसानुसार कोविड–19 से संक्रमित मृतक/व्यक्ति के जैविक प्रादर्शों की रासायनिक जाँच (विष परीक्षण) हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश संलग्न कर आवश्यक कार्यवांही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानसार।

23/6/21
(डॉ. अजय शर्मा)
निदेशक,
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयुपर।
2. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर।
3. उप निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर।
4. प्रभारी/सहायक निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर।
5. सहायक निदेशक (स्टोर), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
6. ड्यूटि ऑफिसर, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।

निदेशक

।। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर ।।

कोविड–19 संक्रमित मृतक/व्यक्ति के जैविक प्रादर्शों की रासायनिक जाँच (विष परीक्षण) हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1. विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कोविड–19 संक्रमित मृतक/व्यक्ति से संबंधित प्रकरण के प्रादर्शो व पत्रावली प्राप्त होने पर प्रादर्शों को अलग स्थान पर रखकर उनका अवलोकन व निरीक्षण किया जावे। केस यूनिट कार्मिकों द्वारा उक्त प्रादर्शों के अवलोकन व निरीक्षण के दौरान Hand gloves, safety goggles, N-95 mask, face shield, Sanitizer इत्यादि का प्रयोग करते हुए पूर्ण सावधानी रखी जावे।

2. कोविड–19 संक्रमित मृतक/व्यक्ति से संबंधित प्रकरण के प्राप्त किये गये प्रादर्शों को समुचित हवादार कक्ष में सामान्य तापमान पर अन्य प्रकरणों के प्रादर्शों से अलग रखने की व्यवस्था की जावे। प्रकरण की फाइल पर लाल स्याही से कोविड–19 अंकित किया जाए।

3. कोविड–19 संक्रमित मृतक/व्यक्ति से संबंधित प्रकरण में मृतक की मृत्यु दिनांक के यथासंभव दो माह पश्चात् ही प्रकरण को परीक्षण हेतु लिया जावे।

4. कोविड–19 संक्रमित मृतक/व्यक्ति से संबंधित प्रकरण को परीक्षण हेतु खोलने से पहले व बाद में प्रयोगशाला के विसरा प्रोसेसिंग कक्ष के स्थान को 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन अथवा 70% Isopropyl Alcohol से कीटाणुरहित करवाया जावे।

5. विसरा प्रोसेसिंग एवं परीक्षण कार्य के दौरान कक्ष की खिड़कियाँ खुली रखें एवं Exhaust fan का समुचित उपयोग किया जावे, ताकि नेगेटिव प्रेशर बना रहे।

6. विसरा के नमूनों की कटिंग, उनके प्रोसेसिंग कार्य एवं रासायनिक परीक्षण कार्य के दौरान कार्मिकों द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु PPE Kit, gloves, safety goggles, N-95 mask, face shield इत्यादि को आवश्यक रूप से उपयोग किया जाये एवं प्रयोगशाला में कार्य के दौरान कोविड–19 प्रोटोकॉल की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

7. विसरा कटिंग कार्य के पश्चात् यथासंभव उसी दिन विसरा प्रोसेसिंग कार्य (आसवन, निष्कर्षण इत्यादि) प्रारंभ किया जाना चाहिए। विष निष्कर्षण के पश्चात् निष्कर्ष (Extract) सूखने पर पोर्सेलिन डिश में 5–10 मिली ईथाइल एल्कोहल मिला दें, जिससे वायरस के शेष रहने की संभावना शून्य हो सके। इसके पश्चात् आगे के परीक्षण कार्य (रंग परीक्षण, TLC, उपकरणों पर जाँच इत्यादि) की प्रक्रिया यथावत रखी जा सकती है।

लगातार.....

8. विसरा के नमूनों की कटिंग, उनके प्रोसेसिंग एवं परीक्षण कार्यो के दौरान उपयोग में ली गई वस्तुओं, ग्लासवेयर, उपकरणों इत्यादि को 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन अथवा 70% Isopropyl Alcohol से कीटाणुरहित किया जावे।

9. प्रयोगशाला में विसरा के नमूनों के रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न बॉयो वेस्ट मेटेरियल एवं उपयोग में लिए गए PPE Kit, gloves, safety goggles, N-95 mask, face shield इत्यादि के निस्तारण हेतु CPCB द्वारा जारी बॉयोमेडिकल वेस्ट निस्तारण गाइडलाईन का पालन किया जाये। वेस्ट निस्तारण में उपयोग किये गये पॉलीबैग पर स्पष्ट रूप से कोविड–19 संक्रमित बॉयो वेस्ट अंकित किया जाना चाहिए।

10. जहाँ तक संभव हो अनावश्यक ऐतराज नहीं लगाते हुए कोविड–19 संक्रमित प्रादर्शो को प्रथम बार प्राप्त होने पर प्रयोगशाला में जमा किया जावे एवं पत्रावली संबंधी ऐतराज के लिए ई–मेल ईत्यादि से दस्तावेज मंगवाकर पूर्ति कराई जावे। जिससे संक्रमित प्रादर्शो के परिवहन व संपर्क के कारण से होने वाले संक्रमण से बचाव किया जा सके।

निदेशक, 27/6/21
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
राजस्थान, जयपुर।